## <u>न्यायालय–सिविल न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)</u> (पीठासीन अधिकारी–धन कुमार कुड़ोपा)

<u>व्यव0वाद क0-38ए/2015</u> संस्थापित दि0-03.12.2015

- 1. गयादीन पिता रामलाल, उम्र 70 वर्ष,
- रामरतन पिता स्व0 रामलाल, उम्र 72 वर्ष, वाद क्रं.1 एवं 2 दोनों जाति भोयर, पेशा कृषि मजदूरी, नि0 नाई मोहल्ला आमला, तह0 आमला, जिला बैतूल म0प्र0।
- 3. रमेश पिता स्व0 रामलाल, उम्र 58 वर्ष,
- 4. कलाबाई जीजे रमेश, उम्र 55 वर्ष,
- 5. ईठोबा पिता स्व. रामलाल, उम्र 60 वर्ष,
- 6. द्वारका पिता स्व. रामलाल, उम्र 45 वर्ष,
- 7. (अ) रामप्यारीबाई बेवा स्व० अशोक, उम्र 50 वर्ष, (ब) कुं. संध्या नाबालिक पुत्री स्व. अशोक
  - वली मॉ रामप्यारी बेवा अशोक
  - वला मा रामप्यारा बवा अशाक (स) संदीप पिता स्व. अशोक, उम्र 24 वर्ष, वादी कृं. 3 से 7 (अ), (ब), (स) तक सभी—जाति भोयर, पेशा कृषि मजदूरी, सभी निवासी ग्राम शिवपुरी, बोरीखुर्द, पो0 रतेड़ा, तहसील आमला, जिला बैतूल।

---<u>वादीगण</u>

## <u> —ः विरूद्ध ::-</u>

- दिनेश पिता स्व0 रामलाल, उम्र 45 वर्ष,
  पेशा कृषि मजदूरी, नि0ग्राम शिवपुरी, बोरीखुर्द पो. रतेड़ा,
  तहसील आमला, जिला बैतूल म0प्र0।
- काशीबाई पिता स्व. रामलाल, उम्र 52 वर्ष,
  पेशा गृहकार्य, नि0ग्राम जंबाड़ा, तह0 आमला, जिला बैतूल म0प्र0।
- 3. म0प्र0 शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय, बैतूल, जिला बैतूल।

	4				
 <u>प्रा</u>	d	q	द	ग	ण

# —:: निर्णय ::— (आज दिनांक 28.07.2016 को घोषित)

- 1— वादीगण ने विवादित भूमि ग्राम आमला प.ह.नं. 2/5 ब.नं. 07 वार्ड नं. 4 संत विनोबा वार्ड आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल म0प्र0 में स्थित भूमि खसरा नं. 127 रकबा 0.008 एवं खसरा नं. 128 रकबा 0.016 हे0, कुल रकबा 0.024 आरे भूमि में वादी कं. 4 को छोड़कर शेष वादीगण एवं प्रतिवादीगण कं. 1 व 2 को समान स्वत्व व अंश बटवांरा कराकर पृथक—पृथक आधिपत्य हेतु यह दावा प्रस्तुत किया है।
- 2— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि वादी के वादपत्र के समस्त अभिवचनों की कंडिका कं. 1 से 11 एवं अनुतोष की कंडिका कं. 12 ''अ'' एवं ''ब'' को स्वीकार किया गया है।
- 3— वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी कं. 1 व 2 के मूल पुरूष रामलाल के वारसान है। जिसमें वादी कं. 1,2,3,4,5,6 मूल पुरूष रामलाल के पुत्रगण है तथा वादी कं. 4 कलाबाई एवं वादी कं. 3 रमेश की पत्नी है। वादी कं. 7 स्व० रामलाल के मृत पुत्र अशोक की विधवा एवं उसके बच्चे है। उसी प्रकार प्रतिवादी कं. 1 स्व० रामलाल का पुत्र एवं प्रतिवादी कं. 2 पुत्री है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ग्राम आमला प०ह०नं. 2/5 ब.नं. 7 वार्ड कं. 4 संत विनोबा वार्ड आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल खसरा नं. 127 रकबा 0.008 हे० एवं खसरा नं. 128 रकबा 0.016 हे०, कुल रकबा 0.024 आरे, जिसकी चतुरसीमा उत्तर में दीपक वराठे, दक्षिण में बस्ती का रोड, पूर्व में विजय पटेल और पश्चिम में सुखनंदन नाई जिस पर स्व० रामलाल के विधिक वारसान पुत्र गयादीन, रामरतन, रमेश, ईटोबा, द्वारका, अशोक, मृत पुत्र के वैध प्रतिनिधी रामप्यारी बेवा अशोक एवं पुत्र संदीप तथा नाबालिक पुत्री संध्या तथा प्रतिवादी कं. 1 दिनेश एवं प्रतिवादी कं. 2 पुत्री काशीबाई को शामिल सरीक स्वत्व स्वामित्व एवं अधिकारी कब्जा प्राप्त हुआ था जिस पर उनके स्वत्व के आधार पर उनका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होकर चला आ रहा है।
- 4— वादीगण ने आगे अपने वाद पत्र में बताया है कि वादग्रस्त शामिल सरीक संयुक्त जमीन में से 0.004 आरे जमीन वादी कं. 5 ईठोबा ने वादी कं. 4 के हक में पंजीकृत विकय अभिलेख दिनांक 15/12/10 के माध्यम से 15000/—रूपये के प्रतिफल में विकय कर दी थी। जिसमें वादी कं. 5 के अंश तक वैध विकय होकर उसका समायोजन वादी कं 4 के पक्ष में किए जाने से वादी कं. 5 ईठोबा के अंश की कोई जमीन उक्त वाद ग्रस्त जमीन अब शेष नहीं बची है और वादी कं 5 ने उसके अंश से जो 0.001 आरे जमीन उक्त विकय पत्र में वादी कं. 4 को ज्यादा

विक्रय कर दी हैं उसे इस विक्रय पत्र में अवैध अकृत एवं शून्य होने से वादीगण द्वारा सम्मिलित नहीं माना गया है।

5— वादीगण कं 1 से 7 तथा प्रतिवादी कं 1 व 2 का समान शामिल सरीक संयुक्त अंश है जिसका अभी तक उसके अंशों के अनुसार विधिवत् पृथक—पृथक बटवांरा नहीं हुआ है। विवादित भूमि पर समान स्वत्व एवं अंश का बटवांरा कराकर पृथक—पृथक अंश का आधिपत्य दिलाए जाने का निवेदन कर यह दावा स्वीकार किए जाने का निवेदन किया है।

6— प्रतिवादी कं. 1 व 2 ने अपना जवाब पेश कर वादीगण के संपूर्ण वाद पत्र एवं अनुतोष को स्वीकार किया है।

7— वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं दस्तावेज तथा प्रतिवादीगण केद्वारा प्रस्तुत लिखित कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार वाद प्रश्न विरचित किये गये है, जिनका मेरे द्वारा निराकरण कर उनके समक्ष निष्कर्ष मेरे द्वारा दिये जा रहे है, जो विचारणीय बिन्दु यह है कि :—

### विचारणीय प्रश्न निष्कर्ष

1—''क्या विवादित भूमि ग्राम आमला, प०ह०नं० 02/05, ब०नं० 7 वार्ड कं० 4 संत विनोबा वार्ड आमला, तह० आमला, जिला बैतूल में स्थित भूमि खसरा नं० 127 रकबा 0.008, खसरा नं. 128 रकबा 0.016 में वादी कं. 5 को छोडकर शेष वादीगण एवं प्रतिवादी कं. 1, 2 समान अंश 0.003 आरे का होकर वे उसके स्वत्वधारी है?

2—''क्या वादीगण कं. 1,2,3,4,6,7 एवं प्रतिवादी कं. 1, 2 वादग्रस्त भूमि मे समान अंश का बटवांरा कराकर पृथक कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

3- ''सहायता एवं वाद व्यय?''

## —:: निष्कर्ष एवं उसके आधार ::— —::विचारणीय प्रश्न कं0—1, 2 का निराकरण::—

सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2 का निराकरण एक साथ

किया जा रहा है, क्योंकि विश्लेषण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो।

- 9— वादी साक्षी रामरतन (वा०सा0—1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह तथा शेष वादीगण तथा प्रतिवादी कं. 1, 2 के मूलपुरूष स्व0 रामलाल की मृत्य के उपरांत उसकी छोड़ी हुई जमीन स्थित ग्राम आमला प.ह.नं. 2/5 ब.नं. 7 वार्ड कं. 4 संत विनोबा वार्ड आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल में स्थित खसरा नं 127 रकबा 0.08 हे0 एवं खसरा नं. 128 रकबा 0.016 हे0, कुल रकबा 0.024 आरे जिसकी चतुरसीमा उत्तर में दीपक वराठे, दक्षिण में बस्ती का रोड, पूर्व में विजय पटेल और पश्चिम में सुखनंदन नाई, जिस पर स्व0 रामलाल के विधिक वारसान पुत्र गयादीन, रामरतन, रमेश, ईटोबा, द्वारका, अशोक, मृत पुत्र के वैध प्रतिनिधि रामप्यारी बेवा अशोक एवं पुत्र संदीप तथा नाबालिक पुत्री संध्या तथा प्रतिवादी कं. 1 दिनेश एवं प्रतिवादी कं. 2 पुत्री काशीबाई को शामिल सरीक स्वत्व स्वामित्व एवं अधिकार कब्जा प्राप्त हुआ था जिस पर उनके स्वत्व के आधार पर उनका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होकर चला आ रहा है। उक्त साक्ष्य का समर्थन वादी साक्षी कलाबाई (वा०सा02), द्वारका (वा०सा03) ने अपने साक्ष्य से किया है और उक्त तथ्यों को भी अपनी साक्ष्य में बताया है।
- 10— वादी साक्षी रामरतन (वा०सा०1) ने आगे अपनी साक्ष्य में बताया है कि वादग्रस्त शामिल सरीक संयुक्त भूमि में से 0.004 आरे जमीन वादी कं. 5 ईठोबा ने वादी कं. 4 के हक में पंजीकृत विक्रय अभिलेख दिनांक 15/12/10 को माध्यम से 15000/—रूपये के प्रतिफल में विक्रय कर दी थी जिसमें से वादी कं. 5 के अंश तक वैध विक्रय होकर उसका समायोजन वादी कं. 4 के पक्ष में किए जाने से वादी कं. 5 ईठोबा के अंश की अब कोई जमीन उक्त वादग्रस्त जमीन में शेष नहीं बची है, और वादी कं. 5 इठोबा ने उसके अंश से जो 0.001 आरे जमीन उक्त विक्रय पत्र में वादी कं. 4 इठोबा को ज्यादा विकय कर दी है उसे इस विक्रय पत्र में अवैध, अकृत एवं शून्य होने से वादीगण द्वारा सम्मिलित नहीं माना गया है।
- 11— आगे वादी ने अपने शपथ पत्र की साक्ष्य में बताया है कि वादी कं. 5 को छोड़कर वादी कं. 1 वादी कं. 2 वादीगण 3,4,6 व 7 तथा प्रतिवादी कं. 1 एवं 2 का समान शामिल सरीक संयुक्त अंश है। जिनका अभी तक अपने अंशों के अनुसार विधिवत् पृथक—पृथक बटवांरा नहीं हुआ है। वादग्रस्त जमीन शामिल सरीक संयुक्त रूप से वादी कं. 5 ईठोबा को छोड़कर अन्य सभी वादीगण तथा प्रतिवादी कं0 1 एवं 2 के कब्जे में चली आ रही है। इसलिये उक्त वादीगण ने वादग्रस्त जमीन का बटवांरा करने हेतु प्रतिवादी कं0 1 एवं 2 से ग्राम आमला में वर्ष 2015 के माह अक्टूम्बर के प्रथम सप्ताह में कहां, तो प्रतिवादी कं. 1 एवं 2 ने उक्त वादग्रस्त जमीन का बटवांरा करने से मना कर दिया। चूंकि यह वादग्रस्त जमीन शामिल सरीक डायवर्टेड जमीन है इसलिए इसके बटवांरा करने का क्षेत्राधिकार राजस्व

न्यायालय तहसीलदार आमला को प्राप्त नहीं होने से वह एवं वादीगण ने यह वाद उक्त वादग्रस्त जमीन में उसके स्वत्व की घोषणा एवं उसके अंश के मुताबिक पृथक—पृथक बंटवारा तथा पृथक—पृथक आधिपत्य की डिक्री पाने हेतु यह दावा पेश किया है। उक्त साक्ष्य का समर्थन वादी साक्षी कलाबाई (वा०सा०२), वादी साक्षीद्वारका (वा०सा०३) ने भी अपनी साक्ष्य से किया है। उपरोक्त तथ्यों को ही अपनी साक्ष्य में बताया है। उक्त साक्ष्य के संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया है।

12— वादी साक्षी रामरतन (वा०सा०1) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 11 में स्वीकार किया है कि वाद ग्रस्त जमीन में ईठोबा को छोड़कर शेष सभी का बराबर का हिस्सा है। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि ईठोबा ने उसका हिस्सा कलाबाई को विक्रय कर दिया है। वादी साक्षी कलाबाई (वा०सा०2) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 9 में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त जमीन में से ईठोबा के हिस्से की जमीन उसने खरीदी है। खरीदी जमीन में से 3 आरे जमीन उसकी है जो उसे मान्य है। उसी प्रकार वादी साक्षी द्वारका (वा०सा०3) ने भी प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में स्वीकार किया है कि ईठोबा ने उसके हक हिस्से की जमीन कलाबाई को बेच दी है। इस प्रकार वादीगण के द्वारा अपनी साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि स्व० रामलाल की है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण समान अंश के स्वत्वधारी है और यह भी स्पष्ट होता है कि वादी क. 5 ईठोबा ने अपने अंश विक्रय कर दिया है। इस प्रकार वादी साक्षियों के शपथ पत्र के साक्ष्य अनुसार विवादित भूमि के समान स्वत्व व अंश का पृथक—पृथक बटवांरा कराकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। साथ ही वादी साक्षियों के शपथ पत्र के साक्ष्य अनुसार ईठोबा ने विवादित भूमि से अपने अंश का विक्रय कर चुका है।

13— किन्तु दस्तावेजी साक्ष्य भी महत्वपूर्ण होती हैं। न्यायालय के समक्ष यह देखा जाना होगा कि क्या विवादित भूमि रामलाल की है जिसमें वादी कं. 5 को छोड़कर शेष वादीगण एवं प्रतिवादी कें. 1 व 2 समान स्वत्व व अंश पाने के अधिकारी है।

14— वादी ने अपने समर्थन में प्र0पी0 1 का दस्तावेज वर्ष 1971—72 का नगरी तथा नगरोत्तर क्षेत्र का अधिकार अभिलेख जिसमें खसरा नं. 128 रकबा 0.04/0.016 खसरा नं. 127 रकबा 0.02/0.08 हे0 भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी कं. 1 व 2 के पूर्वज रामलाल का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। उक्त दस्तावेज से यही स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि स्व0 रामलाल के स्वत्व की है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्व0 रामलाल के वारसान है जो समान स्वत्व व अंश पाने के अधिकारी है।

15— वादी ने अपने समर्थन में प्र0पी0 2 एवं प्र0पी0 3 खसरा किश्तबंदी वर्ष 2014—15 प्रस्तुत किया है जिसमें खसरा नं. 127 रकबा 0.008 और खसरा नं. 128 रकबा 0.016 कुल रकबा 0.024 हे0 भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण का नाम संयुक्त खातेदार एवं भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। नक्शा प्र0पी0 4 प्रस्तुत किया है जिसमें भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार के रूप में नाम उल्लेख है। प्र0पी0 6 खसरा एवं किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2011—16 प्रस्तुत किया है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार के रूप में नाम उल्लेख है। इस प्रकार उक्त दस्तावेजों से यह उल्लेख होता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण समान स्वत्व एवं अंश पाने के अधिकारी है।

16— प्र0पी० ७ का दस्तावेज रिजस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 15/12/10 का प्रस्तुत किया है जिसमें विकेता ईठोबा और केता श्रीमित कलाबाई के द्वारा 15000/—रूपये में विवादित भूमि खसरा नं. 127 में से रकबा 0.002 आरे और खसरा नं. 128 में से रकबा 0.002 आरे, कुल रकबा 0.004 आरे भूमि वादी कं. 4 के द्वारा क्य की गई है। किन्तु वादपत्र की कंडिका 1 के वारसान अनुसार विवादित भूमि में से वादी कं. 5 को खसरा नं. 127 रकबा 0.008 एवं खसरा नं. 128 रकबा 0.016 भूमि में से 0.03 आरे ही भूमि विक्रय कर सकता था। किन्तु उसके द्वारा रिजस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार 0.004 भूमि विक्रय की गई है। इस प्रकार वादी कं. 5 के द्वारा 0.001 भूमि अधिक विक्रय की गई है, जो कि विधि संगत नहीं हैं उक्त भूमि वादी कं. 5 के द्वारा अपने अंश से अधिक भूमि विक्रय की गई है इस कारण उसे मात्र अपने अंश तक ही विक्रय करने का अधिकार है। इस प्रकार वादी कं. 4 को रिजस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15/12/10 के अनुसार वादी कं. 5 से क्रय की गई भूमि 0.03 आरे का ही स्वत्व अधिकारी माना जायेगा। शेष भूमि वादी कं. 5 ईठोबा को छोड़कर शेष वादीगण एवं प्रतिवादीगण समान स्वत्व व अंश का कब्जा प्राप्त करेगें।

17— इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नं. 127 रकबा 0.008 एवं खसरा नं. 128 रकबा 0.016 हे0 भूमि स्व0 रामलाल की है जिसमें वादी कं. 1 से 6, रकबा 0.03 एवं वादी कं. 7 अ,ब,स, रकबा 0.03 एवं प्रतिवादीगण कं. 1 व 2 रकबा 0.03 के समान स्वत्व एवं समान अंश का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। साथ ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15/12/10 के अनुसार वादी कं. 4 रकबा 0.06 का स्वत्व एवं अंश प्राप्त होगा। क्योंकि वादी कं. 5 के द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार अपना अंश वादी कं. 4 को विक्रय किया है इस कारण उसे रकबा 0.06 हे0 भूमि का स्वत्वधारी माना जायेगा। इस प्रकार वादीगण अपने अंश अनुसार विवादित भूमि का पृथक बटवांरा कराकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।

18— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि विवादित भूमि खसरा नं. 127 रकबा 0.008 एवं खसरा नं. 128 रकबा 0.016 हे0 भूमि में से वादी कुं 1,2,3,6, रकबा 0.03 हे0 भूमि एवं वादी कुं. 4 रकबा 0.06 हे0 भूमि एवं वादी कुं. 7 अ,ब,स, रकबा 0.03 हे0 भूमि और प्रतिवादी कुं 1 व 2 रकबा 0.03, 0.03 हे0 भूमि के स्वत्व व अंश का कब्जा प्राप्त करेगें। उक्तानुसार ही पृथक—पृथक अंश का बटवांरा कराकर अपने अंश का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी होगें। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कुं0 1 का निराकरण आंशिक रूप से ''प्रमाणित'' किया जाता है एवं विचारणीय प्रश्न कुं0 2 का निराकरण भी आंशिक रूप से ''प्रमाणित'' किया जाता है।

#### सहायता एवं वाद व्यय

19— वादीगण अपना दावा प्रमाणित करने में आंशिक रूप से सफल रहा है। अतः निम्नानुसार की डिकी एवं आज्ञप्ति पारित की जाती है।

- 1— यह घोषित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नं. 127 रकबा 0.008 एवं खसरा नं. 127 रकबा 0.016 में से वादी कुं. 1,2,3 व 6, रकबा 0.03 आरे भूमि के स्वत्व एवं उतने ही अंश का पृथक—पृथक बटवांरा कराकर अपने अंश का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। यह भी घोषित किया जाता है कि वादी कुं. 7 अ,ब,स, रकबा 0.03 आरे भूमि के स्वत्व एवं अंश का बटवांरा कराकर पृथक कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।
- 2— यह भी घोषित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नं. 127 रकबा 0.008 एवं खसरा नं. 127 रकबा 0.016 हे0 में से वादी कं. 4 रकबा 0.06 आरे भूमि के स्वत्व एवं उतने ही अंश का पृथक बटवांरा कराकर अपने अंश का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।
- 3— वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना—अपना वाद व्यय वहन करेगें।
- 4— अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियामानुसार देय हो। उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया मेरे निर्देशन पर कम्प्यूटर पर टंकित किया गया।

(धनकुमार कुडोपा) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 (धनकुमार कुडोपा) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2

व्यव0वाद क0-38ए/2015

आमला जिला बैतूल म०प्र०

आमला जिला बैतूल म०प्र०